न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 74 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. हेमराज पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह जी भोई, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह जी भोई, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. कुन्दनलाल पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह जी भोई, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. कैलाश पिता स्वर्गीय घासी जी भोई, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय घासी जी भोई, निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई बेवा मांगीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. चुन्नीलाल पिता नानीया जी बलाई (सालवी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. कालु पिता चुन्नीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. भेरा पिता चुन्नीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. मु.सवागी बेवा चुन्नीलाल जी बलाई (सालवी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान

काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय एवं

डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर

दिनांक 27–12–2002 प्र.सं. 194 / 01

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी एवं अन्य अपीलान्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 21–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा खातेदारी घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वर्गीय नन्दा पिता मियाराम जी बलाई ने लगभग 40 वर्ष पूर्व ठिकाना कानोड के माजी सा. चन्देल जी जनानी ढोडी व करणसिंह जी से आराजी नंबर 529 का ग्यारवां हिस्सा रकबा 6 बीघा में से 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता खुमाणसिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–05–1961 को क्रय किया था। उक्त विक्रय पत्र को स्वीकार करते हुए नन्दा जी ने शेष भूमि को दिनांक 03–08–1961 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पृथ्वीराज राजपूत को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से ही दोनों खरीददार अपनी–अपनी क्रय शुदा आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु तत्कालीन पटवारी ने नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं खोलकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोल दिया, जबकि मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होकर कब्जा वादीगण एवं स्वर्गीय पृथ्वीसिंह का चला आ रहा है। अतः वादीगण को विवादित आराजी नंबर 529 के 3 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–12–2002 से वादीगण के विक्रय हस्तान्तरण को वैध नहीं होना मानकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने पर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नो इन्ट्रक्शन करने पर दिनांक 19–12–2005 को अपील इसी स्टेज पर खारिज कर दी गयी, जिसे पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होना मानते हुए दिनांक 22–11–2022 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट [illegible] ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10–07–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः मेरिट पर सुनवाई कर निर्णय करने हेतु न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने प्रकरण में धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण ने वादी के दावे को स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 175 के तहत कार्यवाही करने का जो आदेश दिया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय वर्ष 1961 का है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 वर्ष 1964 में प्रभाव में आया है। ऐसी स्थिति में उक्त धारा 42 अपीलान्टगण के प्रकरण में लागू नहीं होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी आराजी में से 2 बीघा 10 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय पृथ्वीराज के पक्ष में किये जाने के आधार पर आप न्यायालय द्वारा दिनांक 05–07–2011 को उक्त विक्रय पत्र वर्ष 1961 का होने एवं धारा 42 दिनांक 01–05–1964 को प्रभाव में आना मानते हुए क्रेता पृथ्वीसिंह को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–12–2002 अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण को विवादित आराजी नंबर 529 के 3 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थ में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 177, आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 47, आर.आर.डी. 1985 पेज 98 एवं आर. आर.डी. 1994 पेज 714 प्रस्तुत की।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकर कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संख्या 2033 से 2036 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी नंबर 529/11 रकबा 6 बीघा भूमि नन्दा पिता मियाराम बलाई के खातेदारी में अंकित है एवं नन्दा की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1234 दिनांक 28–11–78 को नन्दा के बजाय मांगीलाल पिता मेघा एवं नान्या पिता किसना बलाई के नाम स्वीकृत हुआ, जिसके आधार पर यह भूमि हाल जमाबन्दी में रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज हो गयी है जबकि प्रकरण में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत स्थिति है कि इस भूमि के खातेदार नन्दा पिता मियाराम बलाई द्वारा दिनांक 16–05–1961 को ही इस भूमि में से 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय अपीलान्ट/वादीगण के पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह के पक्ष में किया जाना प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उक्त विक्रय पत्र को तो माना है, किन्तु उक्त विक्रय अनुसूचित जनजाति से अन्य जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय किये जाने से इस विक्रय पत्र को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित माना है, जो उचित नहीं है, क्योंकि धारा 42 दिनांक 01–05–1964 को प्रभाव में आयी, जबकि उक्त विक्रय उसके पूर्व दिनांक 16–05–1961 का है। अर्थात उक्त धारा प्रभाव में आने के 3 वर्ष पूर्व का उक्त विक्रय है इसलिए उक्त विक्रय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1985 पेज 567 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि का अंतरण 1958 में किया गया, जबकि धारा 42 के प्रावधान 1964 में डाले गये। भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया, धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा अंतरण मान्य है तथा अन्तरिती सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–12–2002 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्टगण को आराजी नंबर 529/11 रकबा 6 बीघा में से रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

हेमराज पिता स्वर्गीय खुमाण जी भोई निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर एवं अन्य बनाम **श्रीमती मांगीबाई बेवा मांगीलाल बलाई (सोलंकी), निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर एवं अन्य**

अपील नं.....**74 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....27**.....माह.....**12**.....**2002**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**.....सन् **2024** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–12–2002 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्टगण को आराजी नंबर 529 / 11 रकबा 6 बीघा में से रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested